पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1092
दिनांक-01.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

सड़क दुर्घटना एवं गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

- **गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरण में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **फॉरेन्सिक जांच में बरामद मांस का नमूना गाय अथवा उसकी संतति का पाए जाने पर अभियोग में गोवध निवारण अधिनियम की धाराओं की वृद्धि की गई थी।**
- **पूछताछ में अभियुक्त ने बकरीद के अवसर पर लालच में आकर दो बोरी गौमांस ले जाने की बात स्वीकार की।**

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **07.06.2025** को वादी **अरुण कुमार पाठक** निवासी शिवानी विहार, कल्याणपुर, थाना गुडम्बा द्वारा थाना गुडम्बा पर **मु0अ0सं0 230/2025** धारा **281/125(ए)/351(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोप था कि विक्रम टेम्पो संख्या **UP32FN8231** के चालक **सूरज** द्वारा शराब के नशे में तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल संख्या **UP32NH0061** को टक्कर मार दी गई, जिससे पंकज मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के दौरान विक्रम टेम्पो से **पशु के शरीर के अवशेष** बरामद हुए थे। संदेह होने पर उक्त नमूनों को विधिक प्रक्रिया के तहत **फॉरेन्सिक इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी, विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, मथुरा** भेजा गया। **फॉरेन्सिक रिपोर्ट में नमूना गाय अथवा उसकी संतति का पाए जाने पर विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की वृद्धि की गई।**

आज दिनांक 01.07.2026 को थाना गुडम्बा पुलिस ने मुकदमे में वांछित अभियुक्त **सूरज पुत्र रामलखन**, निवासी **रडहुआ टेराखुर्द, थाना देवा, जनपद बाराबंकी**, उम्र लगभग **26 वर्ष**, को **23 नंबर चौराहे** के पास से गिरफ्तार कर लिया।

02-पूछताछ का विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि पिछले वर्ष **बकरीद** के अवसर पर **खुर्रमनगर चौराहे** के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे अधिक रुपये देने का लालच देकर **दो बोरी गौमांस** शिवानी विहार, मैकाले क्षेत्र के पास पहुंचाने के लिए कहा था। उसने शराब के नशे की हालत में अपने विक्रम ऑटो में मांस लादकर ले जाना स्वीकार किया। इसी दौरान रास्ते में सड़क दुर्घटना हो गई थी। पूछताछ में अभियुक्त गौमांस उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति एवं अंतिम गंतव्य के संबंध में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे सका।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 230/2025 धारा 281/125(a)/351(2) BNS व 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधि0 थाना गुडम्बा लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

01-सूरज पुत्र रामलखन निवासी रडहुआ टेराखुर्द थाना देवा जनपद बाराबंकी उम्र लगभग 26 वर्ष (मजदूरी)

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री विशाल सिंह
3. का0 हर्षराज पाण्डेय
4. का0 हरेन्द्र सिंह

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1093

दिनांक-01.07.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **अपहरण के मुकदमे में नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **21.06.2026** को वादी द्वारा थाना गुडम्बा पर **मु0अ0सं0 244/2026** धारा **137(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। वादी ने अवगत कराया कि उसकी **लगभग 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री** बिना बताए घर से कहीं चली गई है तथा वापस नहीं लौटी। प्रकरण की विवेचना **उपनिरीक्षक श्री शान्तनू बालियान** द्वारा की जा रही थी।

विवेचना एवं **पतारसी-सुरागरसी** के दौरान प्राप्त सूचना के आधार पर **दिनांक 01.07.2026** को थाना गुडम्बा पुलिस ने मुकदमा उपरोक्त से संबंधित **नाबालिग पीड़िता को सकुशल बरामद** करते हुए अभियुक्त **मो0 अनस पुत्र स्व0 भूरे**, निवासी **दौड़भाग वाली पुलिया, नया गांव, थाना कटघर, जनपद मुरादाबाद**, उम्र लगभग **20 वर्ष**, के कब्जे से बरामद किया।

अभियुक्त को **अस्ती रोड, बेहटा, थाना गुडम्बा, लखनऊ** क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के उपरांत अभियोग में **धारा 87 बीएनएस** की वृद्धि करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ पर अभियुक्त द्वारा कि वह वादी की पुत्री से प्रेम करता है शादी के उद्देश्य से दोनो साथ गये थे।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 244/2026 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0 थाना गुडम्बा लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-मो0 अनस पुत्र स्व0 भूरे निवासी दौड़भाग वाली पुलिया नयागांव थाना कटघर जनपद मुरादाबाद उम्र करीब 20 वर्ष

05-बरामदगी

- मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नाबालिग पीड़िता/अपहता।

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री शान्तनू बालियान
3. का0 सुरज कुमार,
4. म0का0 राखी

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1094

दिनांक-01.06.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

- **थाना गुडम्बा पुलिस ने 01 शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी गई मोटरसाइकिल सं-UP42E6299 (पैशन प्रो) बरामद की गई।**
- **घटना में शामिल 02 बाल अपचारियों को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया।**

01-संक्षिप्त विवरण :

दिनांक **29.06.2026** को वादी **हरिद्वार मिश्रा पुत्र रमा शंकर मिश्रा**, निवासी मूल पता **ग्राम बस्तापुर, पोस्ट हाटा, थाना हाटा, जनपद कुशीनगर**, हाल पता **सरकारी आवास टाइप-3/12, थाना गुडम्बा परिसर, लखनऊ**, द्वारा थाना गुडम्बा पर उनकी **मोटरसाइकिल सं0-UP42E6299 (पैशन प्रो)** चोरी हो जाने के संबंध में **मु0अ0सं0 257/2026** धारा **303(2) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था। प्रकरण की विवेचना **उपनिरीक्षक श्री दिग्विजय यादव** द्वारा की जा रही थी।

विवेचना एवं **पतारसी-सुरागरसी** के दौरान **दिनांक 01.07.2026** को थाना गुडम्बा पुलिस ने मुकदमा उपरोक्त से संबंधित **चोरी की मोटरसाइकिल** को **पहाड़पुर गांव के पीछे KL Heights के सामने स्थित खाली प्लॉट की झाड़ियों** से बरामद किया। मौके से अभियुक्त **साहिल पुत्र मुन्ना**, उम्र लगभग **19 वर्ष**, निवासी **ग्राम सांडा, थाना बिसवां, जनपद सीतापुर**, हाल पता **मणिरत्नम के पीछे झुग्गी-झोपड़ी, सेक्टर-जे, थाना गुडम्बा, लखनऊ**, को गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल **दो बाल अपचारियों** को भी संरक्षण में लेकर नियमानुसार **बाल सुधार गृह** भेजा जा रहा है। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ौत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

02-पूछताछ का विवरण :

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसने **आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से** दोनों बाल अपचारियों के साथ मिलकर **23 नंबर चौराहे** से उक्त मोटरसाइकिल चोरी की थी।

03-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 257/2026 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस. थाना गुडम्बा लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण व संरक्षण में लिये गये बाल अपचारी-

1. साहिल पुत्र मुन्ना, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम सांडा थाना बिसवां जनपद सीतापुर, हाल पता मणिरत्नम के पीछे झुग्गी-झोपड़ी, सेक्टर-जे, थाना गुडम्बा लखनऊ।
2. 02- बाल अपचारी को लिया गया पुलिस संरक्षण में।

05-बरामदगी

- मोटर साइकिल संख्या UP 42 E 6299 पैशन प्रो

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री दिग्विजय यादव
3. उ0नि0 श्री शैलेश यादव
4. हे0का0 राजन त्रिपाठी
5. का0 जगपाल

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1091

दिनांक-01.07.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-नगराम

- **घर में घुसकर जेवरात व पैसे चोरी करने वाले 02 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी हुए जेवरात व रूपये बरामद (अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रुपये)।**
- **थाना नगराम पुलिस टीम की सफलता।**

01-संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.06.2026 को वादी मुकदमा अम्बरीश कुमार मिश्र पुत्र अंजनी कुमार मिश्र उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम अनैय्या खरगापुर थाना नगराम लखनऊ की तहरीरी सूचना पर- मु0अ0सं0-101/26 धारा-305(a)/331(4) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात थाना नगराम लखनऊ, बावत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 28.06.2026 की रात्रि में वादी मुकदमा के घर के घर में घुसकर अल्मारी का लाकर तोडकर नगदी व अन्य जैवरात को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त दक्षिणी द्वारा 02 पुलिस टीमें गठित की गयीं। टीमों द्वारा लगभग 90-100 सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण, जांच के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों की पहचान कर आज दिनांक 01.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर इन्दिरा नहर किनारे डोरिया मोड के पास थाना क्षेत्र नगराम से 02 शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर कब्जे से एक अदद नथुनी पीली धातु, एक अदद माथ बेदी पीली धातु, एक अदद बडी अंगूठी पीली धातू, एक अदद बड़ी अंगूठी पीली/ भुरी धातु व 03 जोडी पायल सफेद धातु तथा 1570 रुपये नकद की बरादमगी कर न्यायिक अभिरक्षा भेजा गया है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण चोरी करने के अभ्यस्त अपराधी हैं एवं मजदूरी का काम करते है। इसी दौरान बन्द घरो की रैकी करते है, जब इनको यकीन हो जाता है कि घर पर कोई नही है, तो ये लोग ताला तोडकर घटना कारित करते हैं। फिर चोरी का सामान आपस में बाट लेते है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01-रामचन्द्र पुत्र बुचई उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम दोरिया मजरा हरदोईया थाना नगराम लखनऊ

02-बुद्धिलाल पुत्र स्व0 महावीर उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम गौरा थाना मोहनलालगंज लखनऊ

04-आपराधिक इतिहास-

- *अभियुक्त बुद्धिलाल के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग –*

1. मु0अ0सं0-655/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-42/20 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-351/23 धारा 380/411/457 भादवि थाना मोहनलालगंज लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. मु0अ0सं0-371/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना मोहनलालगंज लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।
5. मु0अ0सं0-19/23 धारा 379/411 बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 101/2026 धारा- 305(a)/331(4)/317(2) बी0एन0एस0 थाना नगराम जनपद लखनऊ।

06-बरामदगी विवरण -

- 01 अदद नथुनी पीली धातु,
- 01 अदद माथ बेदी पीली धातु,
- 01 अदद बडी अंगूठी पीली धातू,
- 01 अदद बड़ी अंगूठी पीली/ भुरी धातु
- 03 जोडी पायल सफेद धातु
- 1570 रुपये नकद
- 01 अदद लोहे का बेलचा

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनुज कुमार
2. उप नि0 ऋषभ पाण्डेय
3. उप नि0 सुरेश चन्द्र मिश्रा
4. का0 गौरव तिवारी।
5. का0 पवन कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1096

दिनांक-01.07.2026

जोन-दक्षिणी/ थाना-निगोहां

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एंव अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा थाना निगोहां पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के साधारण कारावास एंव 5,000/- रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया।।

01-कार्यवाही-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एंव मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के कुशल निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी तथा सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज कमिश्नरेट लखनऊ के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष श्री अनुज कुमार तिवारी के नेतृत्व में कोर्ट मोर्हरिर, अभियोजन कार्यालय तथा थाना स्थानीय के पैरोकार हे0का0 अरविन्द के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना स्थानीय से सजा कराये जाने हेतु अभियोग में माननीय न्यायालय - ASJ V/ गैंगस्टर कोर्ट लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 01.07.2026 सम्बन्धित वाद सं0 – 643/26, मु0अ0सं0 125/2017, धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना निगोहां लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त शंकर पुत्र बनवारी, निवासी ग्राम सन्दाना थाना मौरावां जिला उन्नाव को उपरोक्त वाद में धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष के साधारण कारावास एंव 5,000/- रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी हुई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

02-अभियुक्त का नाम व पता

1. शंकर पुत्र बनवारी, निवासी ग्राम सन्दाना थाना मौरावां जिला उन्नाव।

03-घटना का विवरण –

अभियुक्त द्वारा स्वयं अपने एंव अपने गैंग के सदस्यो को आर्थिक एवं भौतिक लाभ के लिये अभ्यस्ततः क्षेत्र तथा थाना एवं अन्य पडोसी थाना क्षेत्रो मे वाहन लूट धन लूट, तथा चोरी ,डकैती तथा हत्या हेतु गिरोह बन्दी जैसे जघन्य अपराधिक कृत्य करना क्षेत्र मे भय एवं आतंक का माहौल उत्पन्न कर जन मानस मे भय व्याप्त करना।

04-फैसला –

वाद सं0 – 643/2026, मु0अ0सं0 125/2017, धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना निगोहां लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त शंकर पुत्र बनवारी, निवासी ग्राम सन्दाना थाना मौरावां जिला उन्नाव को उपरोक्त वाद में धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष के साधारण कारावास एंव 5,000/- रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिन का अतिरिक्त करावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बितायी हुई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

05-पैरवीकर्ता –

1. श्री अनुज कुमार तिवारी, थानाध्यक्ष थाना निगोहां लखनऊ।
2. हे0का0 अरविन्द थाना निगोहां लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1095
दिनांक-01.07.2026

जोन-पूर्वी/ थाना-विकासनगर

- **माननीय न्यायालय सेशन जज लखनऊ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र (NBW) क्रि0 अपील सं0 18/26 धारा 413 BNS से सम्बन्धित वारण्टी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-कार्यवाही:-

माननीय न्यायालय सेशन जज लखनऊ द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र (NBW) क्रि0 अपील संख्या 18/2026 धारा 413 BNS से सम्बन्धित वारण्टी/अभियुक्त मोहित कुमार उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र जोगेन्द्र कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट मुड़िया पमार थाना सिन्धौली पोवाया शाहजहांपुर, व ए-2 साउथ सिटी बरेली मोड़ थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर की गिरफ्तारी हेतु थाना विकासनगर पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था।

सर्विलांस सेल के सहयोग एवं मुखबिर की सूचना पर थाना विकासनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के पते ए-2 साउथ सिटी बरेली मोड़ थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर पर दबिश दी गयी, अभियुक्त मोहित कुमार उपरोक्त घर पर मौजूद मिला। अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र (NBW) दिखाया गया तथा गिरफ्तारी के आधार एवं कारण से विस्तृत रूप से अवगत कराया गया।

अभियुक्त को आज दिनाँक 01.07.2026 को ए-2 साउथ सिटी बरेली मोड़ थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा वारण्टी/अभियुक्त मोहित कुमार उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा वारण्टी अभियुक्त मोहित कुमार उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड स्वीकृत किया गया।

02-अभियुक्त का विवरण/नाम पता-

1. मोहित कुमार उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र जोगेन्द्र कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट मुड़िया पमार थाना सिन्धौली पोवाया शाहजहांपुर, व ए-2 साउथ सिटी बरेली मोड़ थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर।

03-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राम दुलारे वर्मा, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 आकाशदीप सिंह, थाना विकासनगर, पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1097

दिनांक-01.07.2026

कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही, फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़

- **समिट बिल्डिंग के 11वें तल पर संचालित फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का पुलिस ने किया खुलासा।**
- **कार्रवाई के दौरान कुल 119 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया।**
- **100 लैपटॉप, 178 कॉलिंग मोबाइल फोन, अन्य डिजिटल उपकरण, महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद।**
- **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर ऐप के माध्यम से लोगों को साइबर ठगी का बनाया जाता था शिकार।**
- **ऑपरेशन मैनेजर ललित खैराजानी एवं विक्रम सिंह परमार हिरासत में लिया गया।**
- **कमिश्नरेट लखनऊ की साइबर सेल एवं साइबर थाना की संयुक्त टीम की सुनियोजित कार्यवाही, नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी।**

संक्षिप्त विवरण-

साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में **पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ श्री अमरेंद्र कुमार सेंगर** के निर्देशन, **संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार** के पर्यवेक्षण तथा **पुलिस उपायुक्त अपराध श्री अनिल कुमार यादव** के नेतृत्व में **साइबर सेल एवं साइबर थाना, कमिश्नरेट लखनऊ** की संयुक्त टीम ने **समिट बिल्डिंग के 11वें तल पर संचालित फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर** का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया।

मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई कार्यवाही में **कुल 119 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया।** प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कॉल सेंटर के माध्यम से **अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर ऐप के माध्यम, तकनीकी धोखाधड़ी एवं विभिन्न प्रलोभनों** के जरिए साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा था। यह कॉल सेंटर मुख्य रूप से **रात्रि में संचालित** होता था तथा **समिट बिल्डिंग के 11वें तल पर दो कार्यालयों** से इसका संचालन किया जा रहा था।

बरामदगी :

- **100 लैपटॉप**
- **178 कॉलिंग मोबाइल फोन**
- **अन्य डिजिटल उपकरण, महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद।**

बरामद समस्त **डिजिटल उपकरणों एवं दस्तावेजों** को कब्जे में लेकर उनकी **तकनीकी एवं फॉरेंसिक जांच** कराई जा रही है, जिससे साइबर अपराध के नेटवर्क, पीड़ितों, कॉलिंग मॉड्यूल एवं वित्तीय लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए जा सकें।

प्रारंभिक जांच में कॉल सेंटर का संचालन **"Solaris Solution"** के नाम से किया जाना प्रकाश में आया है।

हिरासत में लिए गए प्रमुख व्यक्ति :

- **ललित खैराजानी** पुत्र अशोक कुमार नारायणदास खैराजानी, निवासी अहमदाबाद (गुजरात), हाल पता- गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ (ऑपरेशन मैनेजर)
- **विक्रम सिंह परमार** पुत्र मानसिंह जी परमार, निवासी अहमदाबाद (गुजरात), हाल पता- गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ (ऑपरेशन मैनेजर)

दोनों से **गहन पूछताछ** की जा रही है। पूछताछ एवं डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर इस **संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क** से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा बरामद **कॉलिंग डेटा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं अन्य तकनीकी साक्ष्यों** का विस्तृत विश्लेषण कराया जा रहा है। साइबर अपराध से जुड़े अन्य **सहयोगियों, वित्तीय लाभार्थियों एवं नेटवर्क के सदस्यों** की पहचान कर उनके विरुद्ध भी प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।